न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 28/2016/एलआर

देवीलाल पिता घीसा धाकड़
निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
दिनांक 23.08.1997 प्रकरण संख्या 392/1997

उपस्थित – 1. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखड़ा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 05.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से अपीलान्ट को किये गये आंवटन को निरस्त करवाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट की तलबी हेतु तारीख पेशी दिनांक 23/08/1997 नियत की गई एवं उस पर अपीलान्ट की बिना प्रोपर तामील हुए ही तामील मानते हुए अपीलान्ट को किया गया आंवटन निरस्त कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आंवटन निरस्तीकरण बाबत कोई सूचना पत्र प्राप्त नही हुआ फिर भी अपीलान्ट की तामील मानते हुए अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये गये बगैर ही आंवटन निरस्तीकरण का जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पक्ष

रखने का अवसर प्रदान नही किया गया एवं जो रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा बनाई गई वह भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे बगैर सूचना के बनाई गई जिससे अपीलान्ट का मौके पर कब्जा व काश्त होते हुए भी मनमकसुद तरीके से काश्त नही होना अंकित करते हुए जो रिपोर्ट पेश की है वह पूर्णतया अनियमितता पूर्ण होने के कारण उक्त रिपोर्ट के आधार पर आंवटन निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अपीलान्ट आंवटन के पश्चात् से ही आंवटनशुदा आराजी नम्बर 424/103 रकबा 0.49 है0 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चआ आ रहा है। वर्तमान मे मौके पर भी अपीलान्ट ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नही थी क्योकि अपीलान्ट वर्तमान मे भी आंवटित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलान्ट को कृषि ऋण हेतु आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल दिनांक 05/07/2016 को प्राप्त की तो जमीन बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी जिस पर राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो आंवटन निरस्तीकरण के निर्णय की जानकारी हुई। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23/08/2017 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को किया गया आंवटन यथावत रखाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो सम्मन जारी हुआ न ही तामील हुआ। सिर्फ एक आदेशिका के माध्यम से निर्णय पारित किया गया। जिसके कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ द्वारा समस्त कारणो का उल्लेख करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर

(प्रशासन) चित्तौडगढ ने पाया कि आंवटित भूमि पर कब्जा नही होकर भूमि पडत के रूप मे पडी होने के कारण तथा अपीलान्ट द्वारा आंवटन शर्तो की पालना नही किये जाने की वजह से भू–आंवटन खारीज किया गया जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल होना नही पाया जाता है। फलतः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 392/1997 मे पारित निर्णय दिनांक 23/08/1997 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़